बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– **ceo_bihar@eci.gov.in**

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 14 अक्टूबर, 2025

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के आलोक में की गई जब्ती की कार्रवाई

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के पश्चात राज्य में प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से निगरानी और गहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को प्रलोभन देने हेतु नकद, शराब, मादक पदार्थ, बहुमूल्य वस्तुएं अथवा अन्य उपहारों के वितरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से की जा रही कार्रवाई के क्रम में बड़ी मात्रा में जब्ती की गई है।

दिनांक 14.10.2025 की प्रमुख जब्ती (रिपोर्टेड राशि लाख रुपये में):

- नकद राशि– ₹14 लाख
- शराब– ₹123.00 लाख
- ड्रग्स/नशीले पदार्थ– ₹71.00 लाख
- कीमती धातु– ₹0 लाख
- फ्रीबीज/अन्य वस्तुएं– ₹117 लाख
- कुल जब्ती– .₹324.7 लाख

आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के बाद अब तक की प्रमुख जब्ती (रिपोर्टेड राशि लाख रुपये में):

- नकद राशि– ₹123.183 लाख
- शराब– ₹1482.637 लाख
- ड्रग्स/नशीले पदार्थ– ₹639.108 लाख
- कीमती धातु– ₹278.8128 लाख
- फ्रीबीज/अन्य वस्तुएं– ₹660.1915 लाख
- कुल जब्ती– ₹3183.933 लाख

राज्य में चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, आयकर विभाग, नॉरकोटिक्स ब्यूरो, सीमा शुल्क और फ्लाइंग स्क्वॉड टीमों द्वारा लगातार संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है।

राज्य के विभिन्न जिलों में शांति एवं विधि–व्यवस्था बनाये रखने हेतु शरारती तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों एवं मतदाताओं को चिन्हित किया जा रहा है। अबतक कुल 10,865 भेद्य क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है। साथ ही 31,559 भेद्यता के कारक व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनके विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। राज्य में कार्यरत चेकपोस्ट (नाका) की कुल संख्या 1,032 है। इसके साथ–साथ 827 एफ०एस०टी० 982 एस०एस०टी० एवं 217 क्यू०आर०टी० कार्यरत है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा सभी जिलों को निर्देश दिया गया है कि निगरानी को और सशक्त बनाते हुए प्रत्येक शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बिना किसी प्रलोभन या दबाव के स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

****